

सहायक उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन तालुका - जिला इलाहाबाद (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, प्राचीण सेवा शिबिर 2025 केम्य स्थल - ~~कपासन~~)

धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 2/15/25 दायर दिनांक 27/9/25 निर्णय दिनांक 27/9/25



आवृत्त सेवा दिवस-2025

क्र.सं.	नाम-ग्राम	स्थान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	अमरपुरा	45	<p>गहोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कयासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टि</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर</p> <p>हस्ताक्षर पटवारी</p> <p>पटवारी</p>	<p>तहसालीदर कपासन की अनुशंका स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136के अर्थानुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम अमरपुरा प.ह. अमरपुरा खतासं. 45 में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरमद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
			<p>शुद्ध प्रविष्टि</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया</p> <p>हस्ताक्षर गिरदीकर</p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p>	<p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p> <p>सहायक कलक्टर</p>

प्रतिनिधि पालनार्थ:- पटवारी महोदय, अमरपुरा, जिला इलाहाबाद

1. पटवारी पटवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरमद किये जाने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार (भ.अ.) कपासन
 तहसीलदार (भ.अ.) कपासन